न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2015 (राजसमन्द आर्डर)

श्रीमती मोहनी बाई पुत्री स्वर्गीय मेघा जी, पत्नी खमाण जी, जाति बलाई, निवासी अटाटियां, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

भूरा पिता भग्गा जी बलाई, निवासी कांलीजर, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़

दिनांक 09.06.2015 प्र॰ सं॰ 76/2013

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री एस.एल. मेघवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित

———::———

निर्णय **दिनांक 28–11–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा विपक्षी/अपीलान्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मादरेचों का गुड़ा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कुल किता 17 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 2/3 एवं विपक्षी का 1/3 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी ने विपक्षी से कई बार विभाजन कराने को कहा, लेकिन विपक्षी विभाजन हेतु तैयार नहीं हो रहे हैं तथा लड़ाई–झगड़े पर उतारू हैं। अतएवं उक्त भूमियों के विभाजन तक विपक्षी उक्त भूमि किसी को हस्तान्तरित नहीं करें तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही।

प्रकरण में दिनांक 15–10–2014 को विपक्षी द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेघा व लालिया दोनों भाई थे। मेघा की मृत्यु के बाद उसकी वारिस प्रार्थीया के नाम नामान्तरकरण खोला जाना था, लेकिन उसके भाई लालिया के नाम नामान्तरकरण दर्ज हो गया तथा लालिया की मृत्यु के बाद बिना जांच किये रम्भा, रतनी 2/3 एवं मोहनी के नाम 1/3 खोल दिया गया, जो गलत है। रतनी की मृत्यु के बाद उसके वारिस व रम्भा ने अपने नाम दर्ज भूमियों का प्रार्थी को विक्रय कर दिया, जबकि कब्जा विपक्षी मोहनी का है। उक्त भूमियों बाबत् विपक्षी द्वारा मुकदमा नंबर 44/13 एवं 45/13 प्रस्तुत कर रखा है, जब तक विपक्षी द्वारा प्रस्तुत वाद में निर्णय नहीं हो जाता तब तक विभाजन नहीं किया जा सकता। अतएवं आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत होने के बाद प्रकरण दिनांक 03–06–2015 को लोक अदालत में रखने के आदेश दिनांक 09–06–2015 के लिए हुए तथा दिनांक 09–06–2015 को उभयपक्षों की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये,

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 09–06–2015 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–12–2015 को प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णयदिनांक 09–06–2015 को अटल सेवा केन्द्र में रखकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एवं उसे सुने बिना निर्णय पारित कर दिया गया, जिससे अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। दिनांक 09–11–2015 को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के सन्दर्भ में थाना केलवाड़ा द्वारा अपीलान्ट को सूचित किये जाने पर उसे उक्त निर्णय की जानकारी हुई। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र तथा न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर दाधीच उपस्थित हुए,

परन्तु दौराने बहस अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा निवेदन किया कि विवादित भूमियां डूंगा जी के समय से चली आ रही हैं। डूंगा जी का निधन संवत् 2008 के पहले यानि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व हो गया। तत्समय पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में रतनी व रम्भा जो पुत्रियां हैं उनका कोई हिस्सा विवादित भूमि में नहीं था। मात्र कब्जा मेघा व लालिया का था तथा उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट मोहनी का चला आ रहा है। मेघा जी की मृत्यु 1975 के आस–पास हुई। विवादित भूमि के खातेदार मेघा व लालिया दोनों सगे भाई थे तथा मेघा की मृत्यु पर उसकी एक मात्र उत्तराधिकारी उसकी पुत्री अपीलान्ट है, किन्तु मेघा के स्थान पर भूमियां लालिया के नाम दर्ज हो गयी। रम्भा व रतनी का विवादित भूमियों पर कभी कब्जा नहीं रहा। ऐसी स्थिति में रतनी के निधन पर उसके पुत्र लच्छीराम, धुलाराम व खीमाराम को मौके पर कब्जा प्राप्त नहीं हुआ, जब उन्हें कब्जा ही प्राप्त नहीं हुआ तो उनके द्वारा दिनांक 17–01–2013 को प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में जो विक्रय किया गया है व मात्र दिखावटी विक्रय पत्र है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तथा उसे बिना सूचित किये निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–10–2014 को विपक्षी का जवाब प्रस्तुत होने के बाद प्रकरण दिनांक 03–06–2015 को लोक अदालत में रखा जाकर दिनांक 09–06–2015 की पेशी नियत की गयी, जिसकी कोई सूचना पक्षकारान को नहीं दी गयी है तथा लोक अदालत में बिना उभयपक्षों को सुने व सूचित किये दिनांक 09–06–2015 को प्रकरण में मौके व यथास्थिति के आदेश दिये गये जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फौरी तौर पर सिर्फ आदेशिका पर मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश सिर्फ इस आधार पर पारित कर दिया कि पक्षकारान के मध्य विभाजन का वाद विचाराधीन है। प्रकरण में वस्तु स्थिति यह है कि

अपीलान्ट/विपक्षी उक्त भूमियों में 1/3 हिस्से की रेकार्डेड खातेदार है तथा किसी भी रेकार्डेड खातेदार को अपनी अविभाजित भूमि विक्रय करने का अधिकार है। वकील अपीलान्ट द्वारा कथन के समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं :–

1. आर.एल.डब्ल्यू. 2007 (1) RJ पेज 22
2. आर.एल.डब्ल्यू. 2010 (1) RJ पेज 82
3. आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 113

उपरोक्त सभी न्यायिक नजरें इस बिन्दु पर अवलम्बित हैं कि सहखातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती तथा अस्पष्ट आदेश भी जारी नहीं किया जा सकता। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अत्यन्त जल्दबाजी में प्रकरण में रेकाडेर्ड सहखातेदार के विरूद्ध मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के जो आदेश दिया गया है वह प्राकृतिक न्याय एवं विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09–06–2015 अपास्त किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–11–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर